फर्द अहककाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भीलवाडा जिला भीलवाडा(राज0)

श्री रतनलाल पुत्र स्व0 प्रभूलाल पाराशर वगैराह निवासी ईरास नई तहसील व जिला भीलवाडा	बनाम	श्री देवानंद पिता वीरूमल सिंधी व अन्य तहसील व जिला भीलवाडा

धारा 111–128 एल0आर0एक्ट

मुकदमा 243 / 2022

23.05.2022 पत्रावली पेश हुई। प्रार्थीगण अधिवक्ता उपस्थित। प्रार्थीगण अधिवक्ता की प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। निर्णय संलग्न है। प्रकरण निर्णित शुमार हो नम्बर से कम किया जावे।

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाडा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी ओम प्रभा आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर–243 / 2022 राजस्व प्रार्थना पत्र

उनवान

1. श्री रतनलाल पुत्र स्व0 प्रभूलाल पाराशर निवासी ईरास नई तहसील व जिला भीलवाडा।
2. श्री सूर्यप्रकाश पुत्र स्व0 प्रभूलाल पाराशर निवासी ईरास नई तहसील व जिला भीलवाडा।
3. श्रीमति लाडदेवी पत्नी स्व0 गोपाल पाराशर निवासी ईरास नई तहसील व जिला भीलवाडा।
4. श्री चन्द्रप्रकाश पुत्र स्व0 गोपाल पाराशर निवासी ईरास नई तहसील व जिला भीलवाडा।
5. श्री आनन्द पुत्र स्व0 गोपाल पाराशर निवासी ईरास नई तहसील व जिला भीलवाडा।

– प्रार्थीगण

बनाम

श्री देवानंद पिता वीरूमल सिंधी निवासी नीलकंठ कालोनी शास्त्रीनगर भीलवाडा।

श्री गागनदास पिता हीरानंद कलवानी जाति सिंधी निवासी ईरास नई तहसील व जिला भीलवाडा।

श्री उधवदास पिता हीरानंद कलवानी जाति सिंधी निवासी ईरास नई तहसील व जिला भीलवाडा।

श्री ईश्वर लाल पिता स्वर्गीय लेहरू जाट निवासी ईरास नई तहसील व जिला भीलवाडा।

श्री घनश्याम पिता स्वर्गीय लेहरू जाट निवासी ईरास नई तहसील व जिला भीलवाडा।

श्रीमति नंदू पत्नी स्वर्गीय लेहरू जाट निवासी ईरास नई तहसील व जिला भीलवाडा।

श्री अनिल कुमार पुत्र राधावल्लभ महाजन निवासी भदादा मौहल्ला भीलवाडा तहसील व जिला भीलवाडा।

श्री रमेशचन्द्र पुत्र नाथुलाल महाजन निवासी भदादा मौहल्ला भीलवाडा तहसील व जिला भीलवाडा।

अणछी पुत्री भूरा बागरिया निवासी ईरास नई तहसील व जिला भीलवाडा।

10. श्री अमरचंद पुत्र भूरा बागरिया निवासी ईरास नई तहसील व जिला भीलवाडा।
11. केसर पुत्री भूरा बागरिया निवासी ईरास नई तहसील व जिला भीलवाडा।
12. श्री काना पुत्र भूरा बागरिया निवासी ईरास नई तहसील व जिला भीलवाडा।
13. श्री गणेश पुत्र भूरा बागरिया निवासी ईरास नई तहसील व जिला भीलवाडा।
14. श्री गोपी पुत्र भूरा बागरिया निवासी ईरास नई तहसील व जिला भीलवाडा।
15. श्री जगदीश पुत्र भूरा बागरिया निवासी ईरास नई तहसील व जिला भीलवाडा।
16. श्री जमना पुत्र भूरा बागरिया निवासी ईरास नई तहसील व जिला भीलवाडा।
17. जेराम पुत्री भूरा बागरिया निवासी ईरास नई तहसील व जिला भीलवाडा।
18. झमकू पत्नी स्व0 भूरा बागरिया निवासी ईरास नई तहसील व जिला भीलवाडा।
19. श्री तोलु पुत्र भूरा बागरिया निवासी ईरास नई तहसील व जिला भीलवाडा।
20. श्री नंदा पुत्र भूरा बागरिया निवासी ईरास नई तहसील व जिला भीलवाडा।
21. श्री पोखर पुत्र भूरा बागरिया निवासी ईरास नई तहसील व जिला भीलवाडा।
22. ांगी पत्नी भूरा बागरिया निवासी ईरास नई तहसील व जिला भीलवाडा।
23. श्री रणजीत पुत्र भूरा बागरिया निवासी ईरास नई तहसील व जिला भीलवाडा।
24. ली पुत्री भूरा बागरिया निवासी ईरास नई तहसील व जिला भीलवाडा।
25. श्री श्रवण पुत्र भूरा बागरिया निवासी ईरास नई तहसील व जिला भीलवाडा।
26. हनी पुत्री भूरा बागरिया निवासी ईरास नई तहसील व जिला भीलवाडा।
27. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार भीलवाडा।

–विपक्षीगण

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय

दिनांक 23.05.2022

प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 राज0भू0राज0 अधिनियम 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम ईरास नई प0ह0 सुवाणा भू0अ0नि0 सुवाणा तहसील व जिला भीलवाडा में स्थित आराजी नम्बर 3497 रकबा 0.1012 हैक्टेयर, आ0नं0 3498 रकबा 0.2782 हैक्टेयर, कुल किता–2 कुल रकबा 0.3794 हैक्टेयर भूमि का खातेदार काश्तकार है। वादग्रस्त आराजियात की भूमि के विपक्षीगण पडौसी है। प्रार्थीगण एंव विपक्षीगण के मध्य प्रश्नगत आराजी के सीमा चिन्ह नही होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। इसलिए प्रार्थी अपने खाते की कृषि भूमि की पत्थरगढी कराना चाहता है। आवेदन स्वीकार किया जाकर पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराया जावें।

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र पंजीबद्ध किया गया। प्रार्थीगण की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। बहस पर मनन् किया। जमाबन्दी सम्वत् 2076 से 2079 ग्राम ईरास नई प0ह0 सुवाणा भू0अ0नि0 सुवाणा तहसील व जिला भीलवाडा में स्थित आराजी नम्बर 3497 रकबा 0.1012 हैक्टेयर, आ0नं0 3498 रकबा 0.2782 हैक्टेयर, कुल किता–2 कुल रकबा 0. 3794 हैक्टेयर भूमि की पत्थरगढी कराने के अधिकारी है। इस आदेश से किसी भी पक्षकार का अभिलेख में किसी प्रकार हक व अधिकार तय नही होते है तथा न किसी प्रकार अधिकार निर्धारित किये जाते है। अतः नैसंर्गिक सिद्धान्त के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है। अतःएंव

// आदेश //

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र धारा–111–128 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 के तहत स्वीकार किया जाकर ग्राम ईरास नई प0ह0 सुवाणा भू0अ0नि0 सुवाणा तहसील व जिला भीलवाडा में स्थित आराजी नम्बर 3497 रकबा 0.1012 हैक्टेयर, आ0नं0 3498 रकबा 0.2782 हैक्टेयर, कुल किता–2 कुल रकबा 0.3794 हैक्टेयर भूमि सीमा जानकारी के लिये पत्थरगढी किये जाने का आदेश दिया जाता है। राजकीय पत्थरगढी शुल्क 100/–रूपये तहसीलदार भीलवाडा के यहॉ संबंधित मद में प्रार्थीगण जमा करावे। पत्थरगढी किये जाने के लिये **भू0अ0निरीक्षक सुवाणा 500/–रूपये (पांच सौ रूपये)** कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर विपक्षीगण को विधिवत सूचना देकर उन्हे मौके पर उपस्थित रहने हेतु अवगत करावे। कमिश्नर फीस प्रार्थीगण मौके पर जमा करावें। कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकारान की उपस्थिति में ही पत्थरगढी की जावें। पत्थरगढी करने के पश्चात यदि यह पाया जाता है कि प्रार्थीगण की भूमि पर अन्य काश्तकार का या किसी अन्य व्यक्ति का कब्जा है तो ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण को विधिवत कब्जा प्राप्त करने हेतु सक्षम न्यायालय में वाद दायर करने हेतु स्वतंत्र है। यदि प्रार्थीगण की उपरोक्त खातेदारी भूमि के संबंध में अन्य न्यायालयो में कार्यवाही विचाराधीन होने एंव स्थगन होने पर पत्थरगढी कार्य नही किया जावे।

अतः भू0अ0नि0 सुवाणा जो कि उक्त प्रकरण में कमिश्नर है, मौके पर उपस्थित प्रार्थीगण व विपक्षीगण की उपस्थिति में पत्थरगढी की जाकर पर्चा मौका मय मानचित्र प्रस्तुत करे।

पत्थरगढी किये जाने के लिये तहसीलदार भीलवाडा को पालना हेतु लिखा जावें।

(ओम प्रभा)
उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

निर्णय आज दिनांक 23.05.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाडा
उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

तहसील व जिला भीलवाड़ा (राज.)